मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक /06/2020

क्र. एफ 16 -23/2020/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा कोविड-19 संकट के कारण उद्योगों को आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत सहायता प्रदान करने व सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार सुविधायें दी जाती है :-

1. **उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधायें प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में रियायत:-**

ऐसी पात्र वृहद श्रेणी की विनिमार्ण इकाईयां जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो उन इकाईयों हेतु नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 की कंडिका क्रमांक 6.2 में निर्धारित व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 90 दिवस के भीतर को संशोधित करते हुये 180 दिवस इस शर्त पर किया जाता है कि इकाई से उत्पादन प्रारंभ किए जाने की सांकेतिक सूचना प्राप्त की जाये।

2. **निवेश प्रोत्साहन सहायता:-**

उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसी पात्र वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनका उत्पादन प्रारम्भ वर्ष 2020-21 है, को सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत के स्थान पर माह सितंबर 2020 तक 30 प्रतिशत एवं यदि लॉकडाउन की अवधि सितंबर 2020 के बाद भी बढती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति के अनुमोदन से प्रति तिमाही 05 प्रतिशत कम किया जाना मान्य किया जाये व ऐसी इकाईयां जो पूर्व से निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त कर रही है, की वर्ष 2020-21 के क्लेम राशि की गणना करने में पूर्वगामी वर्षो की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 35 प्रतिशत मान्य किया जाये।

स्पष्ट किया जाता है कि उक्त छूट केवल इकाईयों के वर्ष 2020-21 के क्लेम प्रकरणों पर ही लागू होगी।

3. **औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटितियों को मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत वार्षिक भू-भाटक के भुगतान एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में रियायत के संबंध में:-**

3.1 एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटियों से मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत प्रभार्य वार्षिक भू-भाटक को कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 01.03.2020 से 31.12.2020 तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज जुर्माना या विलम्ब शुल्क के प्रदान की जाये।

3.2 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत भू-आवंटियों के लिये विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में दिनांक 01.03.2020 से 30.06.2020 तक की चार माह की समयावधि को गणना में सम्मिलित नही किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .....

Scanned with CamScanner